यू.आर. राव उपग्रह केन्द्र/U R RAO SATELLITE CENTRE सीएचएसएस घोषणा फार्म – 2024/CHSS FORM OF DECLARATION- YEAR 2024

मै एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अंतरिक्ष विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के अंतर्गत शामिल किये गए मेरे परिवार के निम्नलिखित सदस्य पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं तथा (सीएचएसएस योजना के अनुच्छेद 3.2.4 के अनुसार) वास्तविक रूप से मेरे साथ रह रहे हैं। I hereby declare that the following member(s) of my family who have been included under the Contributory Health Service Scheme (CHSS) of the Department of Space are wholly dependent on me (in terms of Para 3.2.4 of the CHS Scheme).

क्रम सं/ SI. No	परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम Name of the dependent family member(s)	जन्म तिथि Date of Birth	लिंग sex	कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the employee	निर्देशित दिव्यांग (हॉ/नहीं) PwBD (Yes/No)	व्यवसाय (यदि कार्यरत हैं तो नियोक्ता का पता) Occupation (If employed furnish the address of the employer)	क्या कर्मचारी के साथ रहते हैं / Whether residing with the employee	यदि वे कर्मचारी के साथ नहीं रहते हैं, अन्य सी.एच.एस.एस. केंद्र / सी.एस.एम.ए. में लाभ प्राप्त कर रहे हैं If not residing with the employee, whether availing benefits in other station under CHSS / CSMA/CGHS	सभी स्त्रोतों से मासिक आय रु./ Monthly income from all sources (In Rs.)	वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित / विधवा) Marital Status (Married /Unmarried/ Widow)
	3:					20322	3,3,0,0			

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूं कि यदि मेरा द्वारा दी गई घोषणा गलत साबित होती है तो, पूरे परिवार सदस्यों के लिए सी.एच.एस.एस सुविधा को हटाने के अलावा नियमानुसार, अन्य अनुशासनिक / अन्य कार्रवाई के लिए बद्ध रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैंने अपने परिवार के किसी भी सदस्यों के वैधता समाप्त अथवा सदस्यों के नाम पर आश्रित सी.एच.एस.एस कार्ड को नहीं रखा है। I hereby declare that in case my declaration is proved false, I am liable for disciplinary /other action as per rules apart from withdrawing CHSS facility to the entire family member. Also I do not possess any validity expired or non-dependent CHSS cards in the name of any of my family members.

पता / Address :	हस्ताक्षर/Signature	:	
	नाम/Name	:	
	स्टाफ कोड नं / Staff Code No	:	
	पदनाम व प्रभाग /Designation & Division	:	
पिनकोड / Pin code:	दूरभाष /Phone:		आवास (Res)
दिनांक / Date	ईमैल आईडी/E-Mail ID	:	
सेवा में / To : प्रशासन अधिकारी, सीएचएसएस / Administrative Officer, CHSS	•		

नोट/Note:

- A. यदि परिवार के किसी सदस्य [वेतन/पेंशन, मंहगाई भत्ता/ राहत तथा उपदान के समान पेंशन सहित] का सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय रू. 9000/-+ लागू म.भ व / म.रा प्रतिमाह से अधिक नहीं है, तो उन्हें मुख्य लाभार्थी का आश्रित माना जाता है। If the income from all sources [including Salary/Pension, Dearness Allowance/Relief and pension equivalent of gratuity] of the family member (No income criteria for spouse) does not exceed Rs. 9000/-+ prevailing DA/DR per month, then she/he is treated as dependent.
- B. यदि कर्मचारी के पुत्र 25 से अधिक आयु व निर्धारित सीमा से अधिक अर्जन करता (कमाई) है, तो वह सी.एच.एस.एस. लाभ प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं है। If the son's age of the employee is exceeding 25 years or employed and earning more than the prescribed limit, he is ineligible to avail benefits under CHSS
- C. अं.वि.का.ज्ञा.दि: 01.05.2023 व एफएक्यू दिनाकं 21.06.2023 के अनुसार विवाह-विच्छेद बहनें, विधवा / विवाह विच्छेद / कानूनी रुप से अलग पुत्री के नाबालिक बच्चे सी.एच.एस.एस लाभ प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं है।

 As per DOS O.M. dated 01.05.2023 and FAQ dated 21.06.2023, Divorced sister, Minor children of widowed / divorced / legally separated daughter are ineligible under CHSS.
- D. यदि लाभार्थी 18 वर्ष का या उससे अधिक हो, तो कर्मचारियों को घोषणा प्रपत्र के साथ सी.एच.एस.एस के तहत, घोषित आश्रितों के आश्रित होने को साबित करने हेतु आयके प्रूफ (विविध राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र या फाईल किए आई.टी.आर. की प्रति) को प्रस्तुत करना होगा। If the beneficiary is 18 years and above, the employee must submit income proof (either income certificate issued by concerned Authority under different State Governments or a copy of filed ITR) along with Declaration Form to prove dependency of the declared dependent under CHSS.

पुश्च सेवा निवृत्ति के नौकरी प्रमाण पत्र POST RETIREMENT EMPLOYMENT CERTIFICATE

मैं	पदनाम	कर्मचारी सं.	जो	को सेवानिवृत्त होकर	के साथ	के रूप में
मैं कार्यरत/(दिनांक सहित प्रस्त हूँ। उपरोक्त सहित अन्य सभ	 गावित नौकरी) / व्य	 गापार कर रहा/रही हूँ तथा _	से	 प्रति माह/प्रति वर्ष <i>े</i> रु	आय के रुपये प्र	 प्त कर रहा/रही
हूँ। उपरोक्त सहित अन्य सभ	ी स्रोतों से कुल अ	ाय से रु	है।			
ı		Designation	Staff No.	retired on	is emplo	oved/engaged
in trade (including prop of an income of Rs.	osed employme	ent with date) as	Olali No	with	is criipid an	d is in receipt
of an income of Rs.		_ per month /per annu	ım w.e.f	The to	tal income from all	other sources
including the above is R	Rs	w.e.f	·			
		अ	थवा / OR			
a.			<u>.</u>	2.2.0	3.0.0.0	
मैं नहीं कर रहा/रही हूँ तथा पेंश	पदनाम	कर्मचारी सं	, दिनांक	को सेवानिवृत्त हुआ	तथा में किसी भी तरह के	निकरी/व्यापार
नहां कर रहा/रहा हूं तथा पश	रान साहत, सभा अ	न्य स्राता स मरा आय	सं प्रात	माह/प्रातं वष रु	ह।	
मैनें वर्ष 2023 का जीवन का	ल अंशदान /वार्षि	क्र अंशदान का भुगतान किर	ग है।			
I		Designation	Staff	No ret	tired on	is not
employed/engaged in tr	ade and my inc	come from all other sou	rces includir	ng pension is Rs	per mor	th/per annum
w.e.f						
I have paid Life Time Co	ontribution / An	nual Contribution for the	e year 2024.			
स्थान/Place:						
दिनांक/Date :					हस्ताक्षर/Signature	
		सेवानिवृत्त कर्मचारी के				
	CERTIF	ICATE BY EMPLOYED	SPOUSE (OF RETIRED EMPLO	<u>YEE</u>	
मैं		की पत्नी या श्रीमती	के पति जो	<u>युआरएससी/इसरो</u> (केन्द्र/	⁽ यूनिट/संगठन) से दिनांक	ज को
मैं सेवानिवृत्त हुए तथा मैं	में	_ के रूप में सेवारत/व्यापार	र कर रहा/रही	हूँ तथा एतद्वारा घोषणा कर	रता/करती हूँ कि मेरे पति,	/पत्नी व बच्चे इस
विभाग के चिकित्सा योजना	में शामिल नहीं हैं	ना ही अन्य किसी स्रोत से	चिकित्सा सुवि	विधा प्राप्त कर रहे हैं और	वे अं.वि. के सी.एच.एस.ए	रस. के चिकित्सा
सुविधा तहत श्री./श्रीमती	पर आश्रि	त है।				
I,(Centre/Unit/Organization	W/o	/ H/o Sri/Smt		who	retired from	URSC/ISRO
(Centre/Unit/Organization	on) on	, am employed/enga	iged in trade	with	as	and hereby
declare that I, my spous other source and are de						
other source and are de	ependent on Sn	11/3HH			milies under CH33 or	DOS.
स्थान/Place:						
दिनांक/Date :					हस्ताक्षर/Signature	
		<u> ति/सेवानिवृत्त कर्मचारी वे</u>				
	CERTIFICATE	BY EMPLOYED SPO	USE OF DE	CEASED/RETIRED E	<u>MPLOYEE</u>	
मैं	, दिनांक	को मृत	(केन्द्र/यूनिट/	संगठन) के पति/ की पर्ल	गी में	के रूप में
मैं कार्यरत/व्यापार कर रहा/रहें द्वारा चिकित्सा सुविधा प्राप्त र	ही हूँ तथा एतद्वारा प	योषणा करतां/करती हूँ कि गै	नैं व मेरे बच्चे, <u>इ</u>	इस विभाग के चिकित्सा यो	जना में शामिल नहीं हैं या	अन्य किसी स्रोत
द्वारा चिकित्सा सुविधा प्राप्त र	नहीं कर रहे हैं औ	र अं.वि. के सी.एच.एस.एस. व	के तहत चिकि	त्सा सुविधाओं पर आश्रित है	ŠI	
I.	W/o	H/o Sri/Smt.		of	(Centre/Unit/Orga	nization) who
I,, expired on, my children are not inc	is an employed	d/engaged in trade with		as	and hereby de	eclare that I &
my children are not inc	luded in the Me	edical Scheme of this d	lepartment of	or availing medical faci	ility from any other so	ource and are
dependent on Medical f	aciiilles under (J 100 UI DUO.				
TDTT (D)						
स्थान/Place: दिनांक/Date :					ਟੁਸ਼ਗੂਪੁਰ/C:anatura	
เษาเษ/บลเษ :					हस्ताक्षर/Signature	